

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी-श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या- 68/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/173

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
रामलाल जाट, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना-कुचामन।	श्री दुलाराम पुत्र श्री पन्नाराम निवासी मण्डाबासनी तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन।	

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपटित
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में
जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

उपस्थित:-

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक

-:आदेश:-

दिनांक: 03.12.2024

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध
धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्रके तथ्य संक्षेप में
निम्न प्रकार है:-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1)
खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध गैस
के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरुपयोग के विरुद्ध अभियान के तहत दिनांक 21.09.
2024 को श्री विरेन्द्र सिंह जिला रसद अधिकारी डीडवाना-कुचामन, श्री ओमेन्द्रकुमार
प्रवर्तन निरीक्षक एवं सुश्री मनीषा गुर्जर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा वीर तेजा किंग होटल
नागौ रोड डीडवाना में आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर श्री दुलाराम
चौधरीपुत्र श्री पन्नाराम चौधरी उपस्थित मिलें, जिन्होंने प्रतिष्ठान का निरीक्षण
करवाया। मौके पर प्रतिष्ठान में 07 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर व्यवसायिक उपयोग
किया जा रहा था। मौके पर होटल पर काम करने वाले श्री सुरेश बहादुर से घरेलू
गैस सिलेण्डर, जो कि रसोई में रखे गए थे एवं एक सिलेण्डर गैर भट्टी के साथ
जोड़ा हुआ था, जिसको भट्टी से अलग करवाकर सभी 07 घरेलू सिलेण्डर को बाहर
रखवाया गया। श्री दुलाराम से घरेलू गैस के भण्डारण एवं व्यावसायिक दुरुपयोग से
सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर अपने
बयानों में बताया कि मेरे पास उक्त सिलेण्डरों के बाबत् किसी प्रकार के
अनुज्ञापत्र/आदेश नहीं है। मौके पर श्री दुलाराम के पास घरेलू गैस के भण्डारण एवं
व्यावसायिक दुरुपयोग के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं होने से भण्डारण एवं दुरुपयोग


जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन



किये गये 07 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1.	एचपी	14804 -S	10.70
2.	एचपी	142187 - S	9.4
3.	एचपी	396289 -B	0.3
4.	एचपी	532842	3.1
5.	एचपी	31131	14.2
6.	एचपी	500997 -S	14.2
7.	एचपी	87442 -S	14.2

उपरोक्त 07 घरेलू रसोई गैस को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स सूपका इण्डेन ग्रामिण वितरक सूपका के प्रतिनिधि श्री जिया गौरी को सुपुर्दगी में दिय गये।


इस प्रकार श्री दुलाराम चौधरी का यह कृत्य लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, - 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लंघन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 07 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना के अप्रार्थी अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस एक पक्षीय सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री दुलाराम चौधरी द्वारा घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण व व्यापारिक उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये गये। इस पर मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर कुल 07 को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया जाकर कब्जे में लिये गये। जब्त सुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर को सुपका गैस सर्विस के प्रबन्धक श्री जिया गौरी को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 07 घरेलू गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच के समय श्री दुलाराम चौधरी के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलू


जिला-कलक्टर
डीडवाना-कुचामन




गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confiscation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना-कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




(पुखराज सेन, IAS)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन